क्रम संख्या–184 पंजीकरण संख्या–यू०ए०/डी०ओ०/डी०डी०एन०/30/2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बुधवार, 17 अक्टूबर, 2018 ई0

आश्विन 25, 1940 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 354/XXXVI (3)/2018/70(1)/2018

देहरादून, 17 अक्टूबर, 2018

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदया ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित 'उत्तराखण्ड सेवानिवृत्ति लाभ (संशोधन) विधेयक, 2018' पर दिनांक 11 अक्टूबर, 2018 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्याः 34, वर्ष– 2018 के रूप में सर्व–साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

Scanned by CamScanner

उत्तराखण्ड सेवानिवृत्ति लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2018

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 34, वर्ष 2018)

उत्तराखण्ड सेवानिवृत्ति लाभ अधिनियम, 2018 (अधिनियम संख्या 17, वर्ष 2018) में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सेवानिवृत्ति लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2018 है।

(2) यह अधिनियम "उत्तराखण्ड सेवानिवृत्ति लाभ अधिनियम, 2018 (अधिनियम संख्या 17, वर्ष 2018)" के प्रवृत्त होने के समय से लागू माना जायेगा।

धारा 7 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड सेवानिवृत्ति लाभ अधिनियम, 2018 की धारा 7 की उपधारा (1) में "तैंतीस गुने" शब्द के स्थान पर "साढे सोलह गुना" शब्द रख दिये जायेंगे।

निरसन एवं व्यावृत्ति

3. (1) उत्तराखण्ड सेवानिवृत्ति लाभ (संशोधन) अध्यादेश, 2018 एतदद्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गयी कोई बात अथवा कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गयी समझी जायेगी।

आज्ञा से,

आलोक कुमार वर्मा,
प्रमुख सचिव।

Scanned by CamScanner

No. 354/XXXVI (3)/2018/70(1)/2018
Dated Dehradun, October 17, 2018

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **'the Uttarakhand Retirement Benefits (Amendment) Act, 2018'** (Adhiniyam Sankhya: **34** of **2018**).

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 11 October, 2018.

THE UTTARAKHAND RETIREMENT BENEFITS (AMENDMENT) ACT, 2018

(Uttarakhand Act No. 34 of 2018)

AN

ACT

further to amend the Uttarakhand Retirement Benefits Act, 2018 (Act No. 17 of 2018)

BE it enacted by the Uttarakhand State Legislative Assembly in the Sixty ninth year of the Republic of India as follows:-

Short Title And Commencement	1. (1)	This Act may be called the Uttarakhand Retirement Benefits (Amendment) Act, 2018.
	(2)	It shall be deemed to have come into force from the time of enforcement of the "Uttarakhand Retirement Benefits Act, 2018 (Act N0. 17 of 2018)".
Amendment of Section 7	**2.**	In Section 7 of the Uttarakhand Retirement Benefits Act, 2018, in sub section (1), for the words "33 times", the words "16.5 times" shall be substituted.

Scanned by CamScanner

Repeal and saving

3.(1) The Uttarakhand Retirement Benefits (Amendment) Ordinance, 2018 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the said ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

By Order,

ALOK KUMAR VERMA,
Principal Secretary.

Scanned by CamScanner